कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 /   दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, झंझारपुर
जिला– मधुबनी

महाशय,

नगर पंचायत, झंझारपुर के वर्ष 2011–12 से 2014–15 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 161/16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

–ह0–
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14595/221   दिनांक– 04/10/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, मधुबनी

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

नगर पंचायत, झंझारपुर
निरीक्षण प्रतिवेदन सं0– 161/16–17
भाग- I

प्रस्तावना

1.	कार्यालय का नाम	नगर पंचायत, झंझारपुर
2.	निरीक्षण का वर्ष	वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2014–15
3.	लेखापरीक्षा की अवधि	11.01.2016 से 18.01.2016
4.	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	सुजीत कुमार, स0ले0प0अ0 मनोरंजन प्र0 सिह, व0ले0प0 मनीष कुमार, ले0प0
5.	लेखापरीक्षा का परिक्षेत्र–	परिशिष्ट–I और II पर संलग्न
6.	क्या कार्यालय प्रधान के साथ आपत्तियों पर विचार– विमर्श किया गया?	हाँ, दिनांक 18.01.16 को लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गयी आपत्तियों पर वार्ता की गयी।

7. प्रशासन

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्य अवधि
1.	श्रीमति किरण देवी	अध्यक्ष	01–04–11 से 09–06–12
2.	श्रीमति सोना देवी	अध्यक्ष	09–06–12 से 31–03–15
3.	श्री चन्द्र मोहन दास	उपाध्यक्ष	01–04–11 से 09–06–12
4.	श्री विजय कुमार दास	उपाध्यक्ष	09–06–12 से 10–11–14
5.	रिक्त	उपाध्यक्ष	11–11–14 से 25–12–14
6.	श्री विरेन्द्र नारायण भंडारी	उपाध्यक्ष	26–12–14 से 31–03–15
7.	श्री चेतनारायण राय	कार्यपालक पदाधिकारी	01–04–11 से 14–02–13
8.	श्री चन्द्रशेखर ठाकुर	कार्यपालक पदाधिकारी	14–02–13 से 31–03–15

8. लेखा परीक्षा की मुख्य उपलब्धियाँ

कम सं0	कंडिका सं0	विवरण	राशि (लाख में)
1	भाग–II(ख)कंडिका –1	न्ही जमा/कम जमा	0.15 लाख
2	भाग–II(ख)कंडिका –3	सैरातों की विभागीय बंदोबस्ती से हानि	0.80 लाख
3	भाग–II(ख)कंडिका –5	होल्डिग टैक्स की बकाया राशि	67.04 लाख
4	भाग–II(ख)कंडिका –6	सरकारी भवनों पर होल्डिग टैक्स की बकाया राशि	14.09 लाख
5	भाग–II(ख)कंडिका –9	उपभोक्ता शुल्क का अधिरोपन नहीं	30.63 लाख
6	भाग–II(ख)कंडिका –10	गैर–सरकारी संस्थाओं को SJSRY के तहत अनियमित भुगतान	7.78 लाख
7	भाग–II(ख)कंडिका –12	प्रशासनिक भवन की राशि का अवरोधन	29.80 लाख
8	भाग–II(ख)कंडिका –13	दैनिक मजदूरी पर व्यय	18.27 लाख
		कुल	168.56 लाख

9. पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के धारा 93 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी सशक्त स्थायी समिति के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को उन पर अपनी टिप्पणी के साथ पेश करेंगे, जो जांचोपरांत उन्हें अपनी टिप्पणी के, यदि कोई हो, नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी। साथ ही, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अपने प्रतिवेदन में लेखा परीक्षक द्वारा बतलायी गयी त्रुटियों को दूर करेंगे। इसके अतिरिक्त धारा 94 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका द्वारा लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन अंगीकार किए जाने के पश्चात उस पर नगरपालिका द्वारा की गयी कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ उन्हें राज्य सरकार को अग्रसारित करेंगे और इसकी प्रति स्थानीय लेखापरीक्षक भेजेंगे।

पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सभी कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन अभी तक स्थानीय लेखापरीक्षक कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अंकेक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है।

अंकेक्षण दल को अवगत नहीं कराया गया कि अधिनियम की उपरोक्त धाराओं के अनुसार नगर पंचायत कार्यालय द्वारा कितने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विचार के लिए रखा गया था तथा उन पर क्या कार्रवाई की गयी थी। साथ ही, यह भी अनुरोध किया गया था कि पूर्व के लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर इस लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध कराया जाए लेकिन नगर पंचायत कार्यालय द्वारा इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

नगर पंचायत कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि निर्देशानुसार अनुपालन करने की कारवाई की जा रही है।

नगर पंचायत प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाए।

10. लेखा परीक्षा का परिणाम

(क) अंकेक्षण के दौरान वसूली गयी राशि– शून्य

(ख) अंकेक्षण द्वारा वसूली हेतु सुझाई गयी राशि– ₹ 33,59,137

(ग) अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि –₹ 26,04,708

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– VIII पर)

11. बजट

नगरपालिका अधिनियम–2007 के धारा 82 के अनुसार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी आगामी वर्ष का बजट प्राक्कलन विहित प्रपत्र में तैयार कर मुख्य पार्षद के माध्यम से 15 फरवरी तक नगर पंचायत के बैठक में पेश करवायेंगें। नगर पंचायत इस बजट प्राक्कलन को सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा यदि कोई हो पर विचार कर प्रत्येक वर्ष के 15 मार्च तक परिवर्तन के साथ स्वीकार कर राज्य सरकार को प्रेषित करेगी जिसे राज्य सरकार 31 मार्च तक परिवर्तन या बिना परिवर्तन के लौटाएगी।

परंतु नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। पूर्ववर्त्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मे भी नगर पंचायत को बजट प्रावधानों के तहत व्यय किए जाने हेतु निर्देश दिया जाता रहा है, परन्तु नगर पंचायत द्वारा अभी तक इस दिशा में कोई कदम नही उठाया गया।

बजट के अभाव में नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में किया गया व्यय ₹ 6,30,15,298 अप्राधिकृत था। उपरोक्त आपत्ति के जवाब में कहा गया कि 2015–16 से बजट बनाने की प्रकिया प्रारंभ है।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि आगे से बजट उचित तरीके से तैयार किया जाय।

12 (क) सामान्य रोकड़ बही

वित्तीय संव्यवहार

कम संख्या	विवरणी	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	प्रारंभिक शेष	16990818	23382820	39945547	41799918
2.	प्राप्तियॉ				
(i)	आवर्ती अनुदान	11944581	16587746	11283362	21807619
(ii)	अनावर्ती अनुदान	16787897	13618875	3454754	16278500
(iii)	स्वयं के श्रोत	157587	1089671	379588	552805
(iv)	अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क	0	1021324	0	9319960
(v)	सूद	779561	944173	1219568	1289573
(vi)	अन्य*	735	5125	10000	0
3.	कुल	29670361	33266914	16347272	49248457
4.	महायोग(1+3)	46661179	56649734	56292819	91048375
5.	व्यय				
(i)	स्थापना	943490	3275952	2882856	2083127
(ii)	योजना				
(iii)	a. स्वयं के श्रोत	0	10000	284216	0
	b. अनुदान	22043205	13120757	11045095	5178332
(iii)	अन्य	291664	297478	280734	1278392
(6)	कुल (i+ii+iii)	23278359	16704187	14492901	8539851
(7)	अंतशेष (4-6)	23382820	39945547	41799918	82508524
*Others includes receipts other than own sources					

कोषागार खाता/बैक पासबुक अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसेले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

(ख) पी0एल0 खाता

कम संख्या	विवरणी	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
1.	प्रारम्भिक शेष		शून्य	91,92,475	1,59,95,570
2.	प्राप्ति				
	(i) अनुदान		91,92,475	95,14,149	2,15,97,284
3.	कुल प्राप्ति		91,92,475	95,14,149	2,15,97,284
4.	कुल आय	शून्य	91,92,475	1,87,06,624	3,75,92,854
5.	व्यय		शून्य	27,11,054	47,66,526
6.	अंतशेष		91,92,475	1,59,95,570	3,28,26,328

कोषागार खाता अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया। इसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

(ग) बी0 आर0 जी0 एफ0 रोकड़ बही

वित्तीय संव्यवहारः–

कम संख्या	विवरणी	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
1.	प्रारम्भिक शेष	38,41,097	47,57,908	39,38,127	46,64,405
2.	प्राप्ति				
	(ii) अनुदान	16,74,272	9,93,771	13,32,518	12,55,433
	(iii) ब्याज	1,29,454	1,27,234	70,839	51,855
3.	कुल प्राप्ति	18,03,726	11,21,005	14,03,357	13,07,288
4.	कुल आय	56,44,823	58,78,913	53,41,484	59,71,693
5.	व्यय	8,86,915	19,40,786	6,77,079	7,52,488
6.	अंतशेष	47,57,908	39,38,127	46,64,405	52,19,205

बी0आर0जी0एफ0 मद से संबंधित बैंक पासबुक का विवरणीः–

1. भारतीय स्टेट बैंक, झंझारपुर (खाता सं0– 11462685215)– ₹ 2006383
2. भारतीय स्टेट बैंक, झंझारपुर (खाता सं0– 11462684618)– ₹ 3212822

कुल– ₹ 52,19,205

भाग–II (क)

शून्य

भाग–II(ख)

1. नहीं जमा/कम जमा (राशि ₹ 0.15 लाख)

बिहार नगरपालिका लेखा अधिनियम की धारा 15, 20, 22 एवं 73A में यह प्रावधान है कि नगर निकाय के लिए विभिन्न विविध रसीदो एवं एच रसीदों से प्राप्त राशि नगर निकाय निधि में उसी दिन या अगले कार्य दिवस को जमा कर देना सुनिश्चित किया जाना चाहिए, प्राप्त राशि का किसी दूसरे मद में खर्च नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु नगर पंचायत झंझारपुर के अंकेक्षण के दौरान जन्म एवं मृत्यु पंजी की जांच मे पाया गया कि विभिन्न कार्यालय कर्मियों द्वारा विभिन्न रसीदों के माध्यम से राशि ₹ 14640/– प्राप्त किया गया लेकिन जमा नहीं की गयी। विवरण निम्न है:–

कम संख्या	प्राप्तकर्ता का नाम	राशि	अंकेक्षण के आलोक में जमा की गयी राशि
1	श्री कृष्ण देव झा	2960	2960
2	श्री सीताराम पासवान	11680	शून्य
कुल		14640	2960

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में ₹ 2,960 नगर पंचायत कोष में जमा की गयी लेकिन बैंक में जमा नहीं दिखाया गया ।

अतः नही जमा की गयी राशि ₹ 11,680 ब्याज सहित संबधित व्यक्तियों से वसूल की जाय, ₹ 2,960 का जमा बैंक में दिखाया जाय एवं फलाफल से अगले अंकेक्षण अवगत कराया जाय।

2(क) सैरात की बंदोबस्ती में वसूली हेतु लंबित राशि– ₹ 52,700

नगर पंचायत द्वारा भारी वाहनों से सेवाशुल्क वसूली हेतु बंदोबस्ती 2012–13 (16.10.12 से 31.03.13) के लिए ₹ 2,02,700 में श्री अशोक कुमार चौधरी से की गयी थी। बंदोबस्तीधारी द्वारा ₹ 1,00,000 एकरारनामा के साथ जमा किया गया तथा शेष राशि ₹ 1,02,700 एक माह के अंदर जमा करने को कहा गया लेकिन बंदोबस्तीधारी द्वारा शेष राशि उक्त समय सीमा के अंदर जमा नही किया गया। इसके लिए उसे दिनांक 17.12.12 एवं 11.01.13 को शेष राशि जमा करने का आदेश दिया गया। फलस्वरूप 01.02.13 को 50,000 बंदोबस्तीधारी द्वारा जमा किया गया। शेष राशि ₹ 52,700 जमा करने के लिए नगर पंचायत द्वारा बंदोबस्तीधारी को 26.03.13 एवं 21.08.13 को आदेश दिया गया था बावजूद इसके ₹ 52,700 बंदोबस्तीधारी के पास बकाया थी।

जवाब में बताया गया कि बकाया राशि की वसूली की जायेगी। अतः ₹ 52,700 बंदोबस्तीधारी से वसूलनीय है।

152

2(ख) सैरात की विभागीय बंदोबस्ती से हानि– ₹ 80,492

नगर पंचायत झंझारपुर को अपर समाहर्ता मधुबनी के पत्रांक 614 दिनांक 07.03.13 के द्वारा मछरहट्टा चौक चट्टी बट्टी की बंदोबस्ती के लिए अधिकृत किया गया था। पुनः नगर पंचायत द्वारा उक्त चौक के चट्टी बट्टी के बंदोबस्ती हेतु 2013–14 के लिए आम सूचना 25.03.13 को प्रकाशित की गयी थी तथा सुरक्षित राशि ₹ 86,296 निर्धारित की गयी थी लेकिन बंदोबस्ती नही की गयी न ही दूसरी तिथि निर्धारित की गयी थी और श्री सीता राम पासवान, सहायक को विभागीय वसूली करने का आदेश दे दिया गया। स्पष्ट है कि बंदाबस्ती के किए प्रयास नही किया गया। उक्त तिथि को बंदोबस्ती नही होने का कोई कारण संचिका में नही पाया गया। पुनः 2014–15 में भी बिना बंदोबस्ती के प्रयास किये श्री सीता राम पासवान, सहायक को विभागीय वसूली करने का आदेश दे दिया गया। श्री पासवान के द्वारा 2013–14 में ₹ 47,200 एवं 2014–15 में ₹ 44,900 विभागीय वसूली की गयी। इस प्रकार नगर पंचायत को विभागीय वसूली के कारण कम से कम ₹ 80,492 (2गुणा ₹ 86296–₹ 47,200–₹ 44,900) की हानि हुई।
कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जवाब में बताया गया कि बोर्ड के निर्णय के आलोक में विभागीय वसूली की गयी थी। ₹ 80,492 जिम्मवार व्यक्तियों से वसूलनीय है।

2(ग) सैरातों की बंदोबस्ती का स्टाम्प पर निबंधन नहीं किए जाने के कारण हानि– ₹18,831

राज्य सरकार के पत्रांक 1920/मुख्य सचिव दिनांक 14.08.2008 तथा सचिव सह महानिरीक्षक निबंधक विभाग के पत्रांक 549 दिनांक 15.03.05 के अनुसार कुल बंदोबस्ती की राशि का 3 प्रतिशत के स्टाम्प पर बंदोबस्ती का निबंधन किया जाना है परंतु नगर पंचायत द्वारा 2012–13 एवं 2013–14 में स्टाम्प पर निबंधन नहीं किए जाने के कारण राज्य सरकार को संबंधित मद से रु 18,831 की हानि हुई। विवरण निम्नलिखित है:–

कम संख्या	बंदोबस्ती का वर्ष	सैरात का नाम	बंदोबस्ती की राशि	स्टाम्प शुल्क की राशि
1.	2012–13	व्यवसायिक वाहन	2,02,700	6081
2.	2013–14	व्यवसायिक वाहन	4,25,000	12,750
कुल			**6,27,700**	**18,831**

जवाब में बताया गया कि स्टाम्प शुल्क की वसूली की जायेगी।
उक्त राशि ₹18831/– संबंधित व्यक्तियों से वसूलनीय है।

3(क) होल्डिंग टैक्स की बकाया राशि–₹ 67.04 लाख

कार्यालय नगर पंचायत द्वारा मकान कर से संबंधित माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि उक्त मदों के अंतर्गत 31.03.15 तक कितना बकाया एवं चालू मॉग था तथा इसके विरूद्ध कितनी राशि वसूली गयी थी।

हालांकि नगर पंचायत कार्यालय द्वारा प्रस्तुत विवरणी के आधार पर मार्च, 15 तक कुल रू0 67,03,642 बकाया था तथा 2011–15 के बीच वसूली का प्रतिशत 1 से 3.83 था। कुल मॉग के विरूद्ध की गई वसूली की विवरणी नीचे दी गयी है–

कम संख्या	विवरणी	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
1.	बकाया मॉग	शून्य	1794551	3487510	5174658
2.	चालू मॉग	1796438	1796438	1796438	1796438
3.	कुल मॉग	1796438	3590989	5283948	6971096
4.	बकाया वसूली	शून्य	72783	77432	213706
5.	चालू वसूली	1887	30696	31858	53748
6.	कुल वसूली	1887	103479	109290	267454
7.	वसूली का प्रतिशत	1.00	2.88	2.06	3.83
8.	बकाया राशि	1794551	3487510	5174658	6703642

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि वसूली का प्रतिशत बहुत कम है। कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि बकाया राशि की वसूली की कार्रवाई की जायेगी।
अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि गृह कर की वसूली की दिशा में आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठाए जाए एवं फलाफल से लेखा परीक्षा को अवगत करायी जाय।

3(ख) सरकारी भवनों पर बकाया मकान कर–₹ 14.09 लाख

नगर पंचायत झंझारपुर द्वारा सरकारी मकान कर से संबंधित मॉंग एवं बकाया पंजी अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी। हालाँकि उपलब्ध कराये गए विवरणी से स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि 31.03. 2015 तक कुल बकाया वसूली ₹ 14,09,086 थी **(परिशिष्ट–III)**।
कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि बकाया राशि की वसूली की जायेगी।
अतः कार्यपालक पदाधिकारी से यह अनुरोध है कि बकाये राशि ₹ 14,09,086 की वसूली हेतु प्रयास किए जाए एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत करायी जाय।

3(ग) शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि सरकार को प्रेषित नहीं राशि ₹ 1.08 लाख

बिहार प्रशासनिक शिक्षा उपकर अधिनियम 1959 एवं बिहार स्वास्थ्य उपकर नियमावली 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की वसूली गयी कुल राशि के 10 प्रतिशत वसूली खर्च घटाकर, उपकरों की शेष राशि को सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कर देनी चाहिए।
नगर पंचायत द्वारा कुल वसूली गई राशि का विवरण निम्नवत है–

50

वर्ष	शिक्षा उपकर	स्वास्थ्य उपकर	कुल राशि
2011–12	235.87	235.87	471.74
2012.13	12934.87	12934.87	25869.74
2013–14	13661.25	13661.25	27322.50
2014–15	33431.75	33431.75	66863.50
		कुल	120527.48
घटाव 10% वसूली प्रभार			(–)12053
कुल योगः–			108474.48

अतः ₹ 108474 का प्रेषण सरकार के संबंधित शीर्ष में करना था, परन्तु नगर पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया गया। जवाब में यह बताया गया कि राशि सरकार को प्रेषित की जायेगी। ₹ 108474 का प्रेषण सरकार के संबंधित शीर्ष में कर अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाये।

3(घ) संचार (मोबाईल) टावरों पर पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क ₹ 4.94 लाख एवं नवीनीकरण शुल्क का कम अधिरोपित किया जाना राशि ₹ 0.38 लाख

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावरों एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है। उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर पंचायत में पंजीकरण शुल्क राशि ₹ 30,000.00 प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क की राशि ₹ 8,000.00 प्रतिवर्ष निर्धारित है। नियम 6(2) के अनुसार उपर्युक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित टावरों को उपवर्गित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षो के संख्या के आधार पर लिया जायेगा। नियम 6(4) के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से लगाया जायेगा। 5 वर्ष के उपरांत नवीकरण शुल्क में 25 प्रतिशत वृद्धि का भी प्रावधान है।

अंकेक्षण के क्रम में यह पता चला कि कार्यालय नगर पंचायत द्वारा स्थापित टावरों से संबंधित माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था जिसके अभाव में यह पता नही चल सका कि नगर पंचायत क्षेत्र में कुल कितन मोबाईल टावर थे, अतिरिक्त एंटीनों की संख्या कितनी थी एवं बकाया राशि क्या थी। हालाँकि कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए विवरणी के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सात मोबाईल टावर कम्पनियों पर कुल ₹4.94 लाख बकाया थी। इसके अतिरिक्त 5 साल से अधिक वर्षो से अधिष्ठापित 6 टावर से अतिरिक्त 38000/– नवीकरण शुल्क 31.03.15 तक बकाया है, जिसकी विवरणी इस प्रकार हैः–

कम संख्या	कंपनी का नाम	अधिष्ठापन का वर्ष	नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि का वर्ष	नवीनीकरण शुल्क (8000X25%)2000 x वर्ष	
1	एयरसेल, वार्ड–11	2007–08	2012–13	2000x3	6000
2	एयरटेल, वार्ड–5	2007–08	2012–13	2000x3	6000
3	एयरटेल, वार्ड–13	2007–08	2012–13	2000x3	6000
4	वोडाफोन, वार्ड–5	2007–08	2012–13	2000x3	6000
5	वोडाफोन, वार्ड–12	2007–08	2012–13	2000x3	6000
6	रिलायंस, वार्ड–12	2006–07	2011–12	2000x4	8000
कुल					**38000**

कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि सर्वेक्षण कराया जाएगा एवं बकाया राशि की वसूली की जायेगी। अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि विभिन्न मोबाईल कम्पनी के पास बकाया राशि की वसूली की दिशा में आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठाये जाये एवं फलाफल से लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचितं किया जाय।

4 उपभोक्ता शुल्क का अधिरोपण नहीं होने के कारण हानि राशि ₹ 30.63 लाख

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 128 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत नगर निकाय क्षेत्र में घर–घर प्रभार संग्रह के लिए शुल्क एवं दण्ड निर्धारित करने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के आलोक में शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार ने अपने पत्रांक– 3/UIG-रिर्फाम्स 10/2012-1251 दिनांक 12.07.2013 के द्वारा नगरपालिका क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपभोक्ता शुल्क निर्धारित किया है तथा इसके लिए उपभोक्ता को दो श्रेणी आवासीय एवं गैर–आवासीय में शुल्क निर्धारित किया है।

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणी के अनुसार पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत होल्डिग की स्थिति इस प्रकार है:–

कम संख्या	उपभोक्ता की श्रेणी	2013-14 में होल्डिग की संख्या	2014-15 में नये होल्डिग की संख्या
1.	आवासीय	2830	100
2.	गैर–आवासीय	832	201
	कुल	**3662**	**301**

नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त प्रावधान का पालन नही किया गया तथा उपलब्ध कराये गये विवरणी के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपभोक्ता शुल्क नही लिए जाने के कारण नगर पंचायत को ₹ 30,63,000/- का नुकसान हुआ **(परिशिष्ट–IV)**। जवाब में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अनुपालन की कारवाई की जायेगी। ₹ 30,63,000/- जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूलनीय है।

5 गैर सरकारी संस्था 'जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र' एवं तिरहुत समग्र विकास परिषद् को प्रशिक्षण मद में अनियमित भुगतान– रु. 7.78 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 927 दिनांक 06.09.12 द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनांतर्गत बी0पी0एल0 परिवारों के युवक एवं युवतियों को 17 विभिन्न व्यवसायों (Trades) के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 63 संस्थाओं की सूची भी उपलब्ध कराई गई थी। साथ ही यह निर्देशित किया गया था कि प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व तथा संस्थाओं के साथ एकरारनामा करने के पूर्व निम्नलिखित बिंदुओं पर संस्थाओं की जॉच की जानी चाहिए.–

1. संस्था को पूर्व में इस तरह के प्रशिक्षण का अनुभव है अथवा नही। 2. संस्थाओं/एजेंसियों के पास वैसे प्रशिक्षक होने चाहिए जिनको संबंधित व्यवसाय में 3 वर्षो का अनुभव प्राप्त हो। 3. संस्थाओं/एजेंसियों के पास पर्याप्त क्लासरूम, प्रयोगशाला या अन्य आधारभूत सुविधाएं होने चाहिए। 4. संस्थाओं/एजेंसियों को प्रशिक्षण के उपरांत लाभार्थिया को एक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। 5. संस्थाओं/एजेंसियों को प्रशिक्षण स्थल पर कम से कम 15 सौ वर्गफीट का स्थान होना चाहिए.। 6. कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु कम से कम 10 सेट कम्प्यूटर होना चाहिए आदि।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के मार्गदर्शिका के बिन्दु 6.5 के अनुसार प्रशिक्षण हेतु औसत इकाई लागत 10,000/– प्रति प्रशिक्षणार्थी से अधिक नहीं होगी जिसमें मैटिरियल खर्च, प्रशिक्षण शुल्क, टूल किट लागत, अन्य विविध खर्च और प्रशिक्षणार्थी को दिया जाने वाला मासिक वृजीफा शामिल हैं।

कार्यालय नगर पंचायत, झझारपुर के प्रशिक्षण से संबंधित संचिका के जॉच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र, पटना को कुल 110 छात्र–छात्राओं को निम्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देने हेतु कार्यादेश 26.02.13 को दिया गया है।

कम संख्या	ट्रेड का नाम	चयनित आवेदनों की संख्या
1	सिलाई–कटाई	60
2	ड्राइविंग	40
3	ब्यूटिशियन	10
कुल		**110**

नगर पंचायत द्वारा तिरहुत समग्र विकास परिषद्, समस्तीपुर को भी कुल 90 छात्र– छात्राओं को निम्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देने हेतु कार्यादेश 26.02.13 को दिया गया है।

कम संख्या	ट्रेड का नाम	चयनित आवेदनों की संख्या
1	कम्प्यूटर	40
2	सिलाई–कटाई	40
3	ब्यूटिशियन	10
कुल		**90**

संस्थाओं को किये गये भुगतान की विवरणी–

क्र0 सं0	विपत्र की राशि	चेक सं0	दिनांक	आयकर की कटौती	भुगतान की गई राशि	अभ्युक्ति
1	267000	651798	14.02.15	13350	253650	जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र
2	296500	651750	03.06.14	7413	289087	तिरहुत समग्र विकास परिषद्
3	2,14,500	651734	01.02.14	5363	209137	तिरहुत समग्र विकास परिषद्
कुल	**7,78,000**			**26,126**	**7,51,784**	

संचिका अवलोकन के बाद निम्न खामियॉ दृष्टिगोचर हुईं।

(1) उपरोक्त संस्थाओं के साथ एकरारनामा करने के पूर्व इस संस्था के संबंध में उपरलिखित बिंदुओं की जॉच की गयी थी या नही इस संबंध में कोई प्रमाण संचिका में नही पाया गया।

(2) संस्थाओं/एजेंसियों को प्रशिक्षण के उपरांत लाभार्थियों को एक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना था परंतु इस तरह के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का कोई साक्ष्य संचिका में नहीं पाया गया। प्रमाण पत्र, टूल किट्स आदि उपलब्ध कराने हेतू कूछ आवेदकों के द्वारा आवेदन भी अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर और कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत झंझारपुर को दिया गया था।

(4) प्रशिक्षण के लिए कितने आवेदन प्राप्त किये गये थे एवं इनमें से 200 प्रशिक्षणार्थी का चयन किस आधार पर किया गया था तथा वे बी.पी.एल. परिवार से संबंधित थे इसका साक्ष्य संचिका में अनुपलब्ध था।

(5) मार्गदर्शिका के अनुसार प्रशिक्षण देने के बाद 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थीयों को रोजगार मुहैया कराना था परंतु संस्थाओं के द्वारा रोजगार उपलब्ध नही कराया गया।

(6) अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के युवकों के लिए 15 प्रतिशत स्थान आरक्षित करना था। इस संबंध में कोई सूचना संचिका में नही पाया गया।

(5) संस्थाओं द्वारा मैटिरियल क्रय, टूल किट्स क्रय, अन्य खर्च आदि का अभिश्रव कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया फिर भी भुगतान कर दिया गया जो अनुचित था। संचिका एवं संलग्न प्रशिक्षणार्थियों की सूची के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि राशि का बंदर– बॉट किया गया था और उचित प्रशिक्षण एवं रोजगार मुहैया नहीं कराया गया था। कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि अनुपालन किया जायेगा। अतः आपत्ति के निराकरण तक ₹ 7,78,000 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती हैं।

6 स्वर्ण जयंती भाहरी रोजगार योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण देनेवाली संस्थाओं से आयकर की कम कटौती – ₹ 1.29 लाख

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (जे) में प्रावधान किया गया है कि प्रशिक्षण देनेवाली संस्थाओं से आयकर की कटौति कर उसे सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाएगा । यह राशि पैन वाले प्रशिक्षण देनेवाली संस्था के मामने में 10 तथा वगैर पैन वाले संस्था के मामले में 20 प्रतिशत कटौती

निर्धारित की गई है। नगर पंचायत झंझारपुर द्वारा SJSRY के अंतर्गत प्रशिक्षण देनेवाली संस्था को कुल ₹ 7,78,000 का भुगतान किया गया है ।

संचिका जाँच में पाया गया कि समाधान सेवा समिति एवं तिरहुत सेवा समग्र केन्द्र द्वारा समर्पित पैन संचिका में उपलब्ध नहीं था। संस्था से (₹7,78,000 का 20 प्रतिशत) ₹ 1,55,600 की आयकर कटौती की जानी चाहिए लेकिन केवल ₹26,126 की कटौती की गयी। इस प्रकार ₹1,29,474 की कम कटौती की गयी।

जवाब दिया गया कि अनुपालन किया जायेगा। अतः एन0जी0ओ0 से ₹1,29,474 वसूलनीय है।

7 प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान का अवरोधन

वित्तीय वर्ष 2007–08 में नगर पंचायत झंझारपुर को प्रशासनिक भवन निर्माण योजना में ₹ 28,87,875 का आवंटन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया था। परंतु भूमि उपलब्ध नही होने के कारण प्रशासनिक भवन का कार्य लंबित था।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में अंचलाधिकारी, झंझारपुर के पत्रांक 41 दिनांक 11.01.12 के द्वारा भूमि की उपलब्धता के पश्चात् नगर पंचायत के वार्ड पार्षदों की दिनांक 27.01.12 को सम्पन्न हुई बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या 1 के द्वारा प्रशासनिक भवन की पुनरीक्षित प्राक्कलन ₹ 50 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए एवं शेष राशि का आवंटन स्वीकृत करने के लिए कार्यालय के पत्रांक 281 दिनांक 14.06.12 द्वारा सरकार से अनुरोध किया गया। सशक्त स्थायी समिति की दिनांक 23.03.12 को संपन्न बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या 5 के आलोक में दिनांक 1.4.12 को निविदा निकाली गयी एवं न्यूनतम निविदादाता श्री राघवेन्द्र कुमार की निविदा स्वीकृत करते हुए दिनांक 13.04.12 को संवेदक से ₹ 50 लाख का एकरारनामा कर कार्यादेश निर्गत किया गया था।

पुनः कार्यपालक अभियंता, डुडा मधुबनी द्वारा वास्तविक कार्य के अनुसार प्रशासनिक भवन के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु एवं शेष राशि का आवंटन उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया था। तद्पश्चात पत्रांक 90 दिनांक 7.3.13 द्वारा ₹16,18,875 का आवंटन स्वीकृत किया गया था एवं इसके कमांक 10 के अनुसार प्रशासनिक भवन के बचे हुए कार्य को नये सिरे से ई–टेन्डरिंग के माध्यम से निविदा निकालकर करवाने का निर्देश दिया गया था।

इस मद में भुगतान की गयी राशि की विवरणी निम्न है–

कम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	राशि (₹)
1.	21.06.12	220356	3,26,104
2.	12.07.12	220363	4,35,075
3.	09.08.12	446849	1,67,793
4.	14.02.13	446877	5,98,047
कुल			**15,27,019**

लेकिन नगर पंचायत द्वारा न तो ई–टेन्डरिंग के माध्यम से निविदा प्रकाशित नही की गयी न ही सरकार से इस दिशा में आगे मार्गदर्शन हेतु कोई पत्राचार किया गया तथा राशि ₹ 29,79,731(₹ 28,87,875 +₹16,18,875 –₹15,27,019) अवरोधित कर रखा गया।

जवाब में बताया गया कि ई–टेन्डरिंग के लिए कार्यपालक अभियंता, डुडा, मधुबनी से अनुरोध किया गया था। नगर पंचायत प्राधिकारी की अदूरदर्शिता एवं यथोचित निर्णय नहीं लेने के कारण नगर पंचायत भवन निर्माण की राशि का उपयोग नहीं हो सका एवं नगर पंचायत कार्यालय अपने भवन से वंचित रहा।

8 दैनिक मजदूरों पर व्यय (रु. 18.27 लाख)

बिहार सरकार के पत्र सं0 4 न0स0 1–103/87–1231/नगर विकास विभाग दिनांक 06.05.1992 एवं अन्य विभिन्न पत्रों द्वारा शहरी निकायों में दैनिक मजदूरी पर रोक लगायी गयी थी। नगर पंचायत झंझारपुर के रोकड़बही के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मियों पर वर्ष 2011–12 से 2014–15 के दौरान कुल ₹ 18,26,708 का व्यय किया गया था **(परिशिष्ट–V)** ।

जबाव में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि साफ सफाई की महत्ता को देखते हुए एवं कर्मचारियों के अभाव में बोर्ड की स्वीकृति से दैनिक मजदूरों को कार्य पर लगाया गया है। जवाब तर्कसंगत एवं संतोषप्रद नहीं है। उपरोक्त व्यय की Expost Facto स्वीकृति राज्य सरकार से ली जाय। राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने तक व्यय की गयी राशि ₹ 18,26,708 अंकेक्षण अपत्ति के अधीन रखी जाती है।

9 अग्रिम पंजी का अनियमित संधारण एवं असमायोजित अग्रिम (राशि– ₹ 3.89 लाख)

बिहार कोषागार संहिता के नियम 609(ब) के तहत प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को पूर्व की अग्रिमों के समायोजन/वसूली के बाद परवर्ती अग्रिम दिया जाना चाहिए तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अविलम्ब वसूली/समायोजन का सफल प्रयास किया जाना चाहिए। नगर पंचायत झंझारपुर के अग्रिम पंजी मे अवलोकन में निम्नलिखित त्रुटियां पायी गयी–

1. पंजी सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित नही थी।
2. पंजी में अग्रिम प्राप्तकर्ता का index के रूप में विवरणी तैयार नही किया गया था।
3. अग्रिम भुगतान राशि के विरूद्ध समायोजित राशि के संदर्भ में अधिकांश जगह सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर नही था एवं उसका समायोजन अभिश्रव उपलब्ध नही कराया गया था।
4. दिनांक 31.03.15 तक ₹ 3,89,208 असमायोजित थी।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट –VI पर संलग्न)

कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि अग्रिम पंजी का नियमित ढंग से संधारण किया जायेगाा एवं अग्रिम राशि ₹ 3,89,208 का समायोजन कर लिया जायेगा।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस दिशा में आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठाये जाये एवं फलाफल से लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाय।

TAN

1. अनुज्ञप्ति शुल्क

नगर पंचायत द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क से संबंधित मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था जिसके अभाव में इसके मॉग एवं वसूली (बकाया सहित) की वास्तविक स्थिति ज्ञात नही की जा सकी। नगर पंचायत द्वारा 2013–14 में रसीद संख्या 201 से 211 से ₹ 7100 की वसूली की गयी थी परंतु मॉग एवं वसूली पंजी संधारित नही होने के कारण मॉग के विरूद्ध वसूल की गयी राशि सत्यापित नही की जा सकी इस स्थिति में राजस्व के लिकेज की संभावना से इनकार नही किया जा सकता है।

जवाब में बताया गया कि मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण किया जाएगा।

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में व्यवसायों की विस्तृत सूची दी गयी है जिस पर अनुज्ञप्ति शुल्क अधिरोपित की जा सकती है और यह राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है जिसकी अनदेखी नही की जा सकती। मॉग एवं वसूली पंजी संधारित की जाय एवं अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाये जाए।

2. अनुदान पंजी का संधारण नहीं

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम– 69 के अनुसार सरकार अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले अनुदानों का संधारण अनुदान बही में प्रपत्र संख्या 28 के प्रारूप में संधारित करना है जिसमें अनुदान के नाम, स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी का पदनाम/आदेश/अनुदान की प्रकृति, अनुदान की अवधि, अनुदान के मद में व्यय अवधि समाप्ति के अन्त में अनुदान की अवशेष राशि तथा लौटायी गयी अव्यवहृत राशि को दर्शाया जाना है।

नगर पंचायत झंझारपुर द्वारा अनुदान पंजी का संधारण सही ढंग से नहीं किया गया था जिसके अभाव में ज्ञात नहीं हो सका कि वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2014–15 के प्रारंभ में किस अनुदान का पूर्व शेष क्या था और न ही यह ज्ञात हो सका कि वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2014–15 के दौरान कौन–कौन से अनुदान प्राप्त हुए तथा 2014–15 तक कितनी राशि व्यय हुई और कितनी राशि अनुपयोगी पड़ी रही।

रोकड़बही के अनुसार नगर पंचायत को वित्तीय वर्ष 2011–15 में प्राप्त अनुदान की विवरणी निम्न है–

कम संख्या	वर्ष	राशि
1	2011–12	2,67,98,438
2	2012–13	2,10,33,699
3	2013–14	66,02,443
4	2014–15	2,39,73,362

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–VII)

इस अनुदानों के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया।

इसके उत्तर में कार्यालय द्वारा बताया गया कि अनुदान पंजी का संधारण सही ढंग से किया जाएगा, उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को प्रेषित की गयी है। अतः अनुदान पंजी का नियमानुसार संधारण कर एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।